मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 53/2024

1. समिन्द्रपाल सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन 17 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़. राजस्थान।

—— **वादी**

बनाम्

1. गुरविन्द्र कौर पुत्री जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन 17 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़. राजस्थान।
2. वीरपाल कौर पुत्री जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन 17 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़. राजस्थान।
3. हरजिन्द्र कौर पुत्री जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन 17 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़. राजस्थान।
4. गुरमीत कौर पुत्री जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन 17 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़. राजस्थान।

—— **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका प्रतिवादीगण की ओर से श्री सद्दाम हुसैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 15 पी.बी.एन के खाता स. 24/25 प.न. 25/320 मु.न. 65 के किला न. 21, 22, 23, 24/.177, 25/.152 की कुल 1.088 हैक. नहरी कृषि भूमि में से जरनैल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा खातेदार का नाम व हिस्सा 529/1088 कलमजन करते हुए वादी संख्या 1 (समिन्द्रपाल सिंह) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन ... खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.21 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19.06.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा